न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 1ए/2017
जीसीएमएस नम्बर :– 2017/00302

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थी:–**
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भुमिधारी) रानी		डोली बनाम मंदिर श्री मल्लीनाथ महाराज पुजारी रूपनाथ चेला शंकरनाथ निवासी माण्डल तहसील रानी जिला पाली

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित।

–:: आदेश ::–

दिनांक - 11-1-2024

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार रानी द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम माण्डल पटवार मण्डल माण्डल तहसील रानी की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार खसरा नम्बर 443/1 रकबा एक बिस्वा भूमि अप्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2019 की जमाबन्दी में उक्त भूमि कि किस्म गै0मु0 नाडा दर्ज थी। उपरोक्त भूमि कि किस्म बन्दोबस्त के समय गै0मु0 नाडा से गै.मु. बेरा दर्ज हुई है। उपरोक्त भूमि अप्रार्थी डोली मंदिर श्री मल्लीनाथ महाराज पुजारी रूपनाथ चेला शंकरनाथ के नाम आवंटन हुई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत गै.मु. नाडा की भूमि प्रतिबधित भुमि की श्रैणी में आने से आवंटन/निरस्त योग्य है।

अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपनी बहस एवं लिखित जवाब में कथन किया कि खसरा नम्बर 443/1 की भुमि गे.मु. बेरा आंवटित की गई है उक्त भुमि पर नाडा या तालाब न तो वर्तमान में अस्तित्व में है ओर न ही कभी था एंव किसी प्रकार के पानी के भराव क्षैत्र में भी नही आता है। राज भु राजस्व अधि के तहत सिचाई प्रयोजन के लिए कुआ खोदने ओर पम्पसेट लगाने के लिए आवंटन किया है जो प्रतिबंधित धारा 16 टिनेन्सी एक्ट की श्रैणी में नही आता है। उक्त भुमि पर वर्तमान में केवल 10–12 इंच गोलाई में टयुबवेल खोदा गया है जो की खसरा नम्बर 439,442,443 की माठ पर खोदा गया है इसके अलावा किसी प्रकार का अन्य निर्माण कार्य नही किया गया है, जिसमें पानी भराव मे किसी प्रकार की रूकावट नही आती है। प्रार्थी को विधिवत एवं नियमों के अधीन आवंटन किया होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने पक्ष मे न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2010(1) सरकार बनाम देवी वगैरा एवं आरआरटी 2005(1) अब्दुल रहमान बनाम सरकार पेश किये।

अति. जिला कलक्टर, पाली

उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम मांडल के वर्तमान खसरा नम्बर 443/1 रकबा एक बिस्वा भूमि राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी के नाम दर्ज है। इस खसरा नम्बर के गत खसरा नम्बर 676 थे, जिसकी किस्म गै0मु0 नाडा थी, जैसा कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उक्त भूमि कि किस्म भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान उप जिला कलेक्टर पाली के आदेश दिनांक 9.1.2002 की पालना में भरे गये नामान्तरकरण संख्या 1296 दिनांक 14.1.2002 के द्वारा गै.मु. नाडा से परिवर्तित होकर गै.मु. बेरा दर्ज की गई है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने पक्ष मे न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2010(1) सरकार बनाम देवी वगैरा के अनुसार राजस्थान भु–राजस्व (तालाब पेटे की भुमि का कृषि प्रयोजनार्थ आंवटन) नियम 1979 के अनुसार ऐसी भुमियों का कृषि प्रयोजनार्थ भुमि का अस्थायी आंवटन का प्रावधान है। उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा अप्रार्थी को विवादित भुमि का अस्थायी आंवटन उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत ही किया गया है, जो विधिसम्मत है। तहसीलदार रानी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 443/1 रकबा एक बिस्वा भूमि किस्म गे.मु. बेरा में टयुबवेल बना हुआ है, जिससे मंदिर की भुमि की सिचाई की जाती है व पीने के पानी के काम आता है। टयुबवेल खसरा नम्बर 443 एवं 442 की माठ पर बना हुआ है जिससे किसी प्रकार से पानी का भराव क्षैत्र प्रभावित नही होता है। आरआरटी 2010(1) पेज 630 सरकार बनाम देवीसिंह के अनुसार तालाब पेटे भुमि को अस्थाई खेती के लिए आंवटित की जा सकती है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज कर किया जाता है। इस निर्णय की प्रति तहसीलदार रानी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति.जिला कलेक्टर,पाली

यह निर्णय आज दिनांक 11-1-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति.जिला कलेक्टर,पाली